न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 89/2015

1. रणधीर सिंह पुत्र चिम्मन जाति जाट निवासी नगला तेरहिया (मृतक)
   1/1. पवन कुमार
   1/2. पुष्कर सिंह पुत्रान रणधीर सिंह जाति जाट निवासी नगला तेरहिया
   1/3. महेन्द्री पत्नि रणधीर सिंह जाति जाट निवासी नगला तेरहिया
2. महावीर
3. गम्भीर पिसरान चिम्मन जाति जाट निवासी नगला तेरहिया तहसील उच्चैन।

.....वादीगण

बनाम

1. मंगतू
2. रमेशचन्द
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार रूपवास हाल उच्चैन।
4. शाखा प्रबन्धक शाखा पीएनबी बैंक उच्चैन।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रति0

निर्णय

दिनांकः—10.04.2026

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1094/476 रकवा 2 बीघा 16 बिस्वा बाके ग्राम नगला बीजा में स्थित है। उक्त आराजी को हम वादीगण ने अरसा करीब 13 साल पूर्व दिनांक 2/5/2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मृतक पिता निनुआ से पूर्ण प्रतिफल अदा कर खरीद कर लिया था तथा कब्जा उसी रोज हम वादीगण को विक्रेता ने दिया था तथा उक्त विवादित आराजी पर हम वादीगण निर्विवाद रूप से आज तक लगातार काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी पर विक्रय के 8—10 दिन बाद ही न्यायालय श्रीमान उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर का स्थगन आ गया था तथा जो लगातार दिनांक 31.07.2015 तक चलता रहा जिसके चलते हम वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके। प्रतिवादीगण ने अपने पिता निनुआ की मृत्यू के पश्चात राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत कर उक्त विवादित आराजी का नामांतरकरण माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के बाबजूद ही विरासतन अपने नाम करा लिया था एवं उक्त आराजी को पीएनबी उच्चैन में

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

दिनांक 30.10.2013 को रहिन रख दिया। जब दिनांक 31.07.2015 को माननीय उच्च न्यायलय राजस्थान जयपुर का स्थगन समाप्त हो गया तो हम वादीगण 14.09.2015 को अपने नाम नामातरेकरण दर्ज कराने हल्का पटवारी के पास पहूंचे तो उनके द्वारा नामांतरकरण दर्ज करने से साफ इन्कार कर दिया एवं कोर्ट से आदेश लाने के लिये कहा। इसके उपरान्त हम वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त विक्रयशुदा आराजी को वादीगण के नाम कराने को कहा तो उनके द्वारा वादीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने एवं विवादित आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दी जिसके कारण वादीगण ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.06.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यू होने के पश्चात उनके वारिसान को जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकार मुकदमा बनाया गया। दिनांक 06.10.2025 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया। जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रकरण को राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2069–2072, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2002 एवं जमाबंदी सम्बत् 2061 एवं जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 का अवलोकन किया गया। दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 498/0.45 बाके ग्राम नगलाबीजा तहसील उच्चैन में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

रणधीर सिंह बनाम मेवाराम वगैरा

दावा बाबत धारा 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नं. 89/2015 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड0 मिनजानिब ....

श्री मुकेश चन्द्र शर्मा एड0 मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादीगण को विवादित आराजी ख0नं0 498/0.45 वाके ग्राम नगलाबीच्छा तह0 उच्चैन में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि प्रति0 सं0 1, 2 का नाम कमखत कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे

आज.......... मुबलिग.......... बाबत्..........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 04 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

मुहर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर..........		
महनताना वकील	)पर..........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....						
				मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 89/2015

1. रणधीर सिंह पुत्र चिम्मन जाति जाट निवासी नगला तेरहिया (मृतक)
   1/1. पवन कुमार
   1/2. पुष्कर सिंह पुत्रान रणधीर सिंह जाति जाट निवासी नगला तेरहिया
   1/3. महेन्द्री पत्नि रणधीर सिंह जाति जाट निवासी नगला तेरहिया
2. महावीर
3. गम्भीर पिसरान चिम्मन जाति जाट निवासी नगला तेरहिया तहसील उच्चैन।

.....वादीगण

बनाम

1. मंगतू
2. रमेशचन्द
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार रूपवास हाल उच्चैन।
4. शाखा प्रबन्धक शाखा पीएनबी बैंक उच्चैन।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)